रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082023-248351
CG-DL-E-25082023-248351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त, 25, 2023/भाद्र 3, 1945
No. 489] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST, 25, 2023/BHADRA 3, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2023

संख्या 49/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 628(अ).—जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करने को आवश्यक बनाती हैं।

इसलिए, अब, केंद्र सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा, अर्थात्: -

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, क्रमांक सं. 6ख और उससे संबंधित प्रविष्टियां के बाद, निम्नलिखित क्रमांक संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“6ग	1006 30 10	चावल, पारबॉयल्ड	20%”;

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी|

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/161/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2023

No. 49 /2023-Customs

G.S.R. 628(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that export duty should be levied on certain articles and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Central Government, hereby directs that the Second Schedule to the Customs Tariff Act shall be amended in the following manner, namely: -

In the Second Schedule to the Customs Tariff Act, after Sl. No. 6B and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“6C.	1006 30 10	Rice, parboiled	20%”;

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. CBIC-190354/161/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2023

संख्या 50/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 629(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 55/2022- सीमा-शुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2022, जो संख्यांक सा.का.नि. 796(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, –

(i) सारणी में, क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2क.	1006 30 10	चावल, पारबॉयल्ड	शून्य	5
2ख.	1006 30 10	चावल, पारबॉयल्ड	शून्य	6";

(ii) अनुबंध में, शर्त संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5.	शुल्क की दर 16 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।
6.	(i) निर्यात के लिए माल 25 अगस्त, 2023, से पहले निर्यात के उद्देश्य से सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर गया हो, और उचित अधिकारी द्वारा निर्यात की मंजूरी की अनुमति देने का आदेश जारी नहीं किया गया हो; और (ii) निर्यात के लिए अभिप्रेत माल इररेवोकबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट द्वारा समर्थित हो, जहाँ पर उक्त लेटर ऑफ़ क्रेडिट को 25 अगस्त, 2023, से पहले खोला गया हो, और भारतीय और विदेशी बैंक के बीच संदेश विनिमय की तारीख / स्विफ्ट तारीख 25 अगस्त, 2023, से पहले की हो, और उक्त लेटर ऑफ़ क्रेडिट प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा प्रमाणित हो।" ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/161/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्यांक 55/2022- सीमा-शुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2022, जो संख्यांक सा.का.नि. 796(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना सं. 31/2023- सीमा-शुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2023, द्वारा संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 309 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2023, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2023

No. 50/2023-Customs

G.S.R. 629(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 55/2022-Customs, dated the 31st October 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 796(E), dated the 31st October 2022, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, after S. No. 2 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2A.	1006 30 10	Rice, parboiled	Nil	5
2B.	1006 30 10	Rice, parboiled	Nil	6";

(ii) in the Annexure, after Condition number 4 and the entries relating thereto, the following Condition numbers and entries shall be inserted, namely: -

"5.	Rate of duty shall come into force on the 16th day of October, 2023
6.	(i) Goods meant for export shall have entered the customs station for the purpose of exportation before the 25th day of August, 2023, and an order permitting clearance has not been issued by the proper officer; and (ii) Goods meant for export shall be backed by irrevocable Letter(s) of Credit, wherein the said letter(s) of credit has been opened before the 25th day of August, 2023, and the message exchange date between the Indian and Foreign bank/swift date should be before the 25th day of August, 2023, and such Letter(s) of Credit should have been authenticated by the Recipient Bank. ".

[F. No. CBIC-190354/161/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 55/2022-Customs, dated the 31st October 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 796(E), dated the 31st October 2022, and was last amended *vide* notification No. 31/2023-Customs, dated the 20th April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 309(E), dated the 20th April, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.